न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2021/186

पृथ्वीराज सिंह आत्मज श्री मूल सिंह जाति राजपूत निवासी रामपुरिया सागर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।

– अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली, तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।
2. वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जिला वन अधिकारी बून्दी(राज0)।

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस–(1) कैलाश गुप्ता– अधिवक्ता अपीलांट
(2) पैरोकार सरकार– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2

निर्णय **दिनांक 27.07.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 23/2010 मे पारित निर्णय दिनांक 28.07.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अपीलांट वादी ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि महाराव राजा श्री बहादुर सिंह जी साहब बूंदी नरेश निवासी बूंदी ने दिनांक 26.05.1970 को सब रजिस्ट्रार हिण्डोली जिला बून्दी के कार्यालय मे पंजीकृत करवाये गये बख्शीशनामे द्वारा कृषि भूमि पुराना बन्दोबस्ती खसरा संख्या 227 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 229 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 230 रकबा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 231 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 143 रकबा 30 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 287 रकबा 25 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 200 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 203 रकबा 2 बीघा 3

बिस्वा, खसरा नम्बर 204 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 205 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 206 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 207 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 212 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 213 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 214 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 215 रकबा 14 बिस्वा खसरा नम्बर 216 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 217 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 218 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 219 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 220 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 221 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 222 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 223 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 224 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 225 करबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 226 करबा 8 बिस्वा कुल रकबा 82 बीघा 10 बिस्वा ग्राम रामपुरिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी मूलसिंह आत्मज बन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी फूलसागर को बख्शीश करके कब्जा संभला दिया था। स्वर्गीय मूलसिंह महाराव राजा बहादुरसिंह की बूंदी नरेश के पास काम करते थे और उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उक्त कृषि भूमि बख्शीश की गई थी। यह बख्शीशनामा दिनांक 26.05.1970 को पंजीकृत करवाया गया था किन्तु वास्तव मे सन् 1958 मे ही भूमि बख्शीश करके कब्जा संभला दिया गया था और निरन्तर मूलसिंह जी इस भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे थे। महाराव राजा बूंदी नरेश के विरूद्ध कार्यवाही अन्तर्गत राजस्थान भू–सुधार तथा भू–स्वामियों की भू–संपदा अवाप्ति अधिनियम 1963 जर्ये अधिनियम संख्या 15 सन् 1975 से संशोधित के अन्तर्गत राजस्थान राज्य ने वादपत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित कृषि भूमि अवाप्त करने का आदेश देते हुये सिवायचक दर्ज कर दिया। महाराव राजा बूंदी नरेश द्वारा कुछ अन्य व्यक्तियों को कृषि भूमियां बेचान की गई थी, जो भी अवाप्त की जाकर सिवायचक दर्ज कर दी गई थी। मूलसिंह सहित अन्य व्यक्तियों द्वारा सिवायचक दर्ज की गई भूमियों के संबंध मे न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर बूंदी मे उज्रदारियां प्रस्तुत की गई, जिनको एक ही निर्णय द्वारा पत्रावली संख्या 11/मुत./1976 सरकार बनाम छोटा वगैरह मे दिनांक 01.03.1976 को निर्णित किया गया। निर्णित पत्रावलियों की सूचि मे कम संख्या 9 पर श्री मूलसिंह जी द्वारा प्रस्तुत उज्रदारी शामिल थी, इस निर्णय द्वारा मूलसिंह जी को बख्शीश की गई भूमि को राज्य सरकार के हक मे अधिग्रहण किये जाने का आदेश निरस्त दिया गया। इस निर्णय के विरूद्ध राजस्थान राज्य की ओर से अपील संख्या 1 से 22/1976/लेण्ड रिफॉर्मर्स/बूंदी/स्टैट ऑफ राजस्थान बनाम किशनगोपाल वगैरह न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर मे प्रस्तुत की गई, जिसके निर्णय दिनांक 17.10.1977 प्रकरण पुनः निर्णित किये जाने हेतु जिला कलक्टर, बून्दी को प्रतिप्रेषित किया गया। न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी ने मिसल संख्या 1578 निर्णय दिनांक 03.11.1981 सरकार बनाम श्रीराम तापडिया एवं अन्य मे निर्णय प्रदान करते हुए दिनांक 01.03.1976 को पारित

किया गया निर्णय सही मानते हुए कृषि भूमियों को अधिग्रहण से मुक्त करने का आदेश प्रदान किया गया। इस निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा कोई अपील अथवा निगरानी नहीं की गई और यह निर्णय अन्तिम हो गया। इस प्रकार निगरानी नहीं की गई और यह निर्णय अन्तिम हो गया। इस प्रकार महाराव राजा बूंदी नरेश द्वारा मूलसिंह को बख्शीश की गई 82 बीघा भूमि पर मूलसिंह जी को वैधानिक खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये, किन्तु राज्य सरकार ने कई बार आग्रह करने पर भी इन भूमियों को मूलसिंह जी के खाते दर्ज नहीं किया गया। स्वर्गीय मूलसिंह का देहान्त हो जाने के उपरांत उनके तीन पुत्र वादी पृथ्वीराज सिंह एवं भवरसिंह व जयराजसिंह उत्तराधिकारी बने। श्री भंवरसिंह एवं जयराजसिंह को मूलसिंह जी के नाम बख्शीश की गई भूमि मे से कुछ भूमि पर राज्य सरकार द्वारा खातेदारी दे दी गई, जो उनके कब्जे मे है। बख्शीश की भूमि खसरा संख्या 150 वर्तमान मे से 12 बीघा भूमि राज्य सरकार ने एक व्यक्ति अकबर आत्मज मुस्सा मुसलमान को आवंटित कर दी थी, जिसने निजामुद्दीन वगैरह को बैचान कर दी है। स्वर्गीय श्री मूलसिंह के उत्तराधिकारी पुत्रों मे हुये आपसी समझौते मे कृषि भूमि वर्तमान खसरा संख्या 150 का शेष रकबा 18 बीघा 8 बिस्वा तथा खसरा संख्या पुराने 287 नया खसरा संख्या 278 रकबा 98 बीघा 7 बिस्वा मे से 25 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 43 बीघा 10 बिस्वा भूमि वाके ग्राम रामपुरिया वादी के हिस्से मे आई है जिस पर वह निरन्तर वैधानिक खातेदार की हैसियत से काबिज काश्त चला आ रहा है और स्वयं के खाते मे दर्ज करवाने का अधिकारी है। कृषि भूमि वर्तमान खसरा संख्या 150 मे से 18 बीघा 8 बिस्वा एवं 278 मे से 25 बीघा 2 बिस्वा कुल 43 बीघा 10 बिस्वा वादी के वैधानिक खातेदारी की भूमि है, किन्तु राज्य सरकार ने वादी को सूचना दिये बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना महकमा जंगलात के खाते दर्ज कर दिया, जो सर्वथा अवैध है और वादी के विरूद्ध प्रभावहीन है। इन कृषि भूमियों को महकमा जंगलात के खाते दर्ज किये जाने मे अपनाई गई संपूर्ण प्रकिया न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त की अवहेलना करते हुए की गई है, इस कारण दोषपूर्ण है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि उक्त कृषि भूमि को अपने खातेदारी की घोषित करवाकर राजस्व अभिलेख मे खातेदार के स्थान पर अपना नाम दर्ज करवाने का आदेश प्राप्त करें और वन विभाग राजस्थान सरकार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करे। वादी के निस्वामित्व एवं खातेदारी की कृषि भूमि को वन भूमि दर्ज किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। वाद विषयक कृषि भूमि के बाबत महाराव राजा बूंदी नरेश के विरूद्ध की गई भूमि अवाप्ति की कार्यवाही मे तथा इससे संबंधित उज्रदारियों, अपीलो एवं निगरानियों मे राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार हिण्डोली भी पक्षकार थी, इस कारण राज्य सरकार को वाद विषयक कृषि भूमि के बाबत न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की भलीभांति जानकारी है तथा वे निर्णय राज्य सरकार के विरूद्ध

रेसज्युडिकेटा का प्रभाव रखते है। अन्त मे कृषि भूमि खसरा संख्या 150 रकबा 18 बीघा 8 बिस्वा एवं खसरा संख्या 278 रकबा 98 बीघा 7 बिस्वा मे से 25 बीघा 2 बिस्वा भूमि कुल 43 बीघा 10 बिस्वा भूमि वाके ग्राम रामपुरिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी पर वादी की खातेदारी अधिकार घोषणा की जाकर राजस्व अभिलेख मे खातेदार दर्ज किया जावे। खातेदार के स्थान से महकमा जंगलात का नाम विलोपित किया जावे। वन विभाग राजस्थान सरकार को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादी को वाद विषयक कृषि भूमि से बेदखल नहीं करे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षकारान के अभिवचनों के अनुसार पत्रावली मे तनकीयात कायम की गई। उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर दिनांक 28.07.2021 को वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.07.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट वादी ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है। अपीलांट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी प्रस्तुत किया गया तथा प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को अपील के निर्णय मे सहायक सिद्ध होना बताते हुए प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से अपीलांट के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। हमने प्रार्थना–पत्र व प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज फोटोप्रति प्रमाणित प्रतिलिपी नकल निर्णय दिनांक 13.12.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली प्रकरण संख्या 101/दावा/2017 की है। उक्त दस्तावेज राजकीय दस्तावेज है, जिनका अपील के न्यायसंगत निस्तारण मे सहायक सिद्ध होना प्रतीत होता है। अतः न्यायहित मे

अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजो को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

6. दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री वस्तु स्थिति एवं विधान के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 1 मे वाद विषयक भूमि पंजीकृत बक्शीशनामा द्वारा वादी को प्राप्त होना आंशिक रूप से वादी के पक्ष मे निर्णित किया है, किन्तु इस भूमि पर वादी का कब्जा चला आना वादी के विरूद्ध निर्णित किया है, जबकि पंजीकृत बक्शीशनामें मे पूर्व खातेदार द्वारा वादी के पिता मूलसिंह को भूमि बक्शीशनामें मे कब्जा सम्भलाये जाने का तथ्य अंकित होने के उपरांत वादी से राज्य सरकार द्वारा वापस कब्जा लिये जाने का कोई तथ्य अभिवचन मे रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण की ओर से प्रकट नहीं किया गया है और न ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा वादी अथवा उसके पिता से राज्य सरकार ने बेदखल करके कब्जा प्राप्त किया हो। यह भी ज्ञातव्य है कि कब्जे के बाबत राज्य सरकार द्वारा खसरा गिरदावरी मे काबिज व्यक्ति का नाम दर्ज किया जाना सम्वत् 2019 के पश्चात बंद कर दिया गया है, ऐसी स्थिति मे वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा नहीं माना जाना त्रुटिपूर्ण है। तनकी संख्या 3 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाना अभिवचन प्रस्तुत दस्तावेजात न्यायालय के निर्णयों एवं तथ्यों के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे केवल मात्र दिनांक 20.05.1982 को एवं दिनांक 21.04.1973 को जारी अधिसूचना के आधार पर वादग्रस्त भूमि वन विभाग के खाते मे दर्ज किया जाना कानून सम्मत् मान लिया है और यह कथन किया है कि इसके संबंध मे वादी की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है। वादग्रस्त भूमि सिलिंग सिवायचक दर्ज किये जाने के निर्णय के विरूद्ध स्वीकार की गई उज्रदारी का निर्णय वादी के पिता के पक्ष मे कर दिये जाने के उपरांत वादी के पिता वाद विषयक कृषि भूमि के वैधानिक खातेदार बन गये थे, इस कारण राज्य सरकार द्वारा वादी को सूचना दिये बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा पूर्व निर्णयों को निरस्त करवाये बिना वन विभाग के खाते दर्ज किये जाने की अधिसूचना सर्वथा गैरकानूनी है। वाद विषयक भूमि के बाबत महाराव राजा बून्दी नरेश के विरूद्ध की गई भूमि अवाप्ति की कार्यवाही मे तथा इससे संबंधित उज्रदारियों अपीलों एवं निगरानियों मे राज्य सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली भी पक्षकार थे। इस कारण राज्य सरकार को वाद विषयक कृषि भूमि के बाबत् न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की भली भांति जानकारी है तथा वे निर्णय राज्य सरकार के विरूद्ध रेसज्युडीकेटा का प्रभाव रखते है। राजस्थान राज्य द्वारा उज्रदारियों मे निर्णय के उपरान्त अन्य केतागण की भूमि

सिवायचक से वापस केतागण के खाते मे दर्ज कर दी गई है। जिसमे ग्राम बीचडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी फार्म श्री दरबार साहब बून्दी की 164 बीघा 4 बिस्वा भूमि भी शामिल है, जो नामान्तरकरण संख्या 104 दिनांक 03.10.1963 से संबंधित खरीददारान के खाते मे दर्ज की गई है किन्तु वादी अपीलांट के कब्जे काश्त की कृषि भूमि को उसके खाते दर्ज नहीं किया गया। जबकि उज्रदारियों मे राज्य सरकार पक्षकार थी, और राज्य सरकार को निर्णयों की जानकारी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 4 व 5 का निर्णय वादी अपीलांट के विरूद्ध करके कानूनी एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है। धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान प्रस्तुत प्रकरण मे प्रभावी नहीं है, क्योंकि वाद विषयक कृषि भूमि पूर्व मे बूंदी नरेश के खाते मे दर्ज थी औ पंजीकृत बक्शीशनामे के आधार पर अपीलांट के पिता के खाते दर्ज की जानी चाहिए थी। अपीलाधीन वाद मे केवल मात्र माननीय राजस्व मण्डल एंव न्यायालय जिला कलक्टर महोदय बून्दी द्वारा वाद विषयक भूमि के बाबत पारित निर्णयों का राजस्व रिकॉर्ड मे अमल किया जाना है। भूमि को वन विभाग के खाते दर्ज किये जाने के समय जारी अधिसूचना की कार्यवाही मे उक्त निर्णयों को आधार नहीं बनाया गया है और न हीं उन पर गौर किया गया है। राज्य सरकार उन निर्णयों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अधिसूचना जारी करने की स्थिति मे न्यायालय के निर्णय की अवहेलना की श्रेणी मे आती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने एक अन्य निर्णय दिनांक 13.12.2019 से खसरा नम्बर 198 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 203 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 205 रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 206 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 207 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 209 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 211 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 214 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 216 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 217 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 219 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 220 रकबा 15 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 223 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा कुल क्षेत्रफल 29 बीघा 8 बिस्वा ग्राम रामपुरिया तहसील हिण्डोली की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये है। परन्तु यह वाद खारिज कर दिया जो विधि सम्मत नहीं है। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 28.07.2021 खारिज किये जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि सन् 1973 मे ही विवादित भूमि वन–विभाग के खाते मे दर्ज हो गई। दिनांक 1.04.1973 को यह भूमि सिवायचक थी, अमल भले ही सन् 2009 मे हुआ हो। सन् 2010 वादी अपीलांट ने वाद पेश किया उस तिथि को विवादित भूमि वन विभाग के नाम दर्ज है। सन् 2010 मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 प्रभावशील है। विवादित भूमि

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है जिससे उक्त भूमियों पर किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकारी व स्वत्व की घोषणा नहीं की जा सकती है। EX–ए–1 जमाबंदी सम्वत 2064 से 2067 के अनुसार ग्राम रामपुरिया तहसील हिण्डोली की खाता संख्या 1 मे दर्ज आराजी तथा EX–ए–2 जमाबंदी सम्वत 2064 से 2067 के अनुसार ग्राम रामपुरिया तहसील हिण्डोली की खाता संख्या 26 मे दर्ज आराजी खसरा नम्बर 278 व 150 महकमा जंगलात के नाम दर्ज है। अधिवक्ता अपीलांट का यह तर्क मान्य नहीं है कि विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादी अपीलांट की है, क्योंकि वन विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना आज भी प्रभाव मे है। वन विभाग की अधिसूचना निरस्त नहीं की गई है। ऐसी स्थिति मे इस न्यायालय को उस वन विभाग की अधिसूचना के विपरीत जाने या निरस्त करे का अधिकार नहीं । माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय ने भी कई बार वन विभाग की भूमि के संबंध मे निर्णय पारित किये है कि वन विभाग की भूमि को किसी अन्य को आवंटित नहीं किया जा सकता है। अन्त मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.07.2021 को विधि सम्मत होना बताते हुए अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। EX–ए–1 जमाबंदी सम्वत 2064–2067 ग्राम रामपुरिया तहसील हिण्डोली की खाता संख्या 1 मे दर्ज कुल किता 28 रकबा 397 बीघा 9 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन दर्ज रिकॉर्ड है तथा नामान्तरकरण संख्या 77/28.08.2009 से किता 12 रकबा 301 बीघा 11 बिस्वा भूमि महकमा जंगलात के खाते दर्ज किये जाने का नोट अंकित है। EX–ए–2 नकल जमाबंदी सम्वत 2064–67 ग्राम रामपुरिया की खाता संख्या 26 मे दर्ज किता 18 की रकबा 1192 बीघा 4 बिस्वा महकमा जंगलात की खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है। EX–ए–3 राजस्थान सरकार राजस्व विभाग की विज्ञप्ति कमांक एफ1(6)(7) राज./8/72 दिनांक 21.04.1973 की है। EX.–ए–4 राजस्थान सरकार राजस्व(ग्रुप–8) विभाग की विज्ञप्ति कमांक एफ 11(17) राज–8/79 जयपुर दिनांक 20.05.1982 की है। EX-5 नकल जमाबंदी सम्वत 2064–2067 ग्राम रामपुरिया तहसील हिण्डोली की खाता संख्या 9 मे दर्ज खसरा संख्या 228, 229, 234, 236, 237, 243 कुल किता 6 कुल रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा खातेदार भवंरसिंह आ0 मूलसिंह कोम राजपूत सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है तथा नामान्तरकरण संख्या 74/30.12.2008 से रहन दर्ज से खाता स्टैट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा बून्दी के रहन दर्ज होना अंकित है। EX–6 नकल जमाबंदी

सम्वत 2064–2067 ग्राम रामपुरिया तहसील हिण्डोली की खाता संख्या 6 मे दर्ज कुल किता 15 कुल रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा भूमि निजामुद्दीन, इकरामुद्दीन, गफ्फार मोहम्मद सत्तार मोहम्मद पि0 छीतर खां जाति मुसलमान नि. तालाबगांव खातेदार रहन सम्पूर्ण खाता बैंक ऑफ बडौदा ब्रान्च बून्दी मु.वि.क. दर्ज रिकॉर्ड है। EX –7 नकल जमाबंदी सम्वत 2064–67 ग्राम तालाबगावं तहसील हिण्डोली की खाता संख्या 12 मे दर्ज खसरा संख्या 232, 233, 240, 241 कुल किता 4 कुल रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा भूमि सुरेन्द्रसिंह वल्द लादूसिंह कोम राजपूत सा. वन का खेड़ा बृजराज सिंह आ. रतनसिंह दिलिप सिंह आ. विजयराज सिंह कोम राजपूत सा. लाइनपुलिस रोड बहादुरसिंह मार्ग बून्दी खाता इ.न. 64,65 दर्ज रिकॉर्ड है। EX–8 नकल जमाबंदी सम्वत 2064–67 ग्राम रामपुरिया की खाता संख्या 1 मे दर्ज खसरा संख्या 150 रकबा 18 बीघा 8 बिस्वा किस्म गै.मु. बर्डा सिवायचक पहाड़ी तथा खड्डे दर्ज रिकॉर्ड है तथा नामान्तरकरण संख्या 77 दिनांक 28.08.2009 से खसरा नम्बर 150 पूरा 18 बीघा 8 बिस्वा महकमा सिंचाई जंगलात के खाते दर्ज है। EX –9 नकल जमाबंदी सम्वत 2064 से 2067 ग्राम रामपुरिया तहसील हिण्डोली की खाता संख्या 26 मे दर्ज कुल किता 18 कुल रकबा 1192 बीघा 4 बिस्वा महकमा जंगलात भूमि धारक का नाम राज. सरकार दर्ज रिकॉर्ड है। EX –10 जिलाधीश बून्दी का निर्णय दिनांक 01.03.1976 की सत्य प्रतिलिपी है। EX –11 जिलाधीश बून्दी का निर्णय दिनांक 29.12.1975 उनवान सरकार बनाम मूलसिंह है। EX –12 बक्शीशनामा दिनांक 26.05.1970 का है। EX –13 नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2028 से सम्वत 2047 तक ग्राम राममपुरिया तहसील हिण्डोली का है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि उक्त दस्तावेज जिन पर EX अंकित है , उन पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। ग्राम रामपुरिया के कुल 82 बीघा 10 बिस्वा भूमि संलग्न बक्शीशनामा दिनांक 26.05.1970 से महाराज बहादुर सिंह द्वारा वादी अपीलांट के पिता मूलसिंह पुत्र बनेसिंह राजपूत को दी थी। वर्तमान खसरा नम्बर 150 की 12 बीघा भूमि अकबर/मूशा को आवंटन के पश्चात अकबर द्वारा निजामुद्दीन को बेचान करने से उक्त भूमि पर निजामुद्दीन काबिज काश्त है। सरकार द्वारा उक्त भूमि महकमा जंगलात के खाते दर्ज कर दी गई। खसरा नम्बर 150 की 18 बीघा 8 बिस्वा व खसरा नम्बर 278 की 98 बीघा 7 बिस्वा भूमि मे से 25 बीघा 2 बिस्वा की भूमि पर अपीलांट खातेदारी चाहते है, जो महकमा जंगलात के खाते दर्ज रिकॉर्ड है। बूंदी स्टैट के शासक महाराव बहादुर सिंह के द्वारा वादी अपीलांट पृथ्वीराज के पिता मूलसिंह आत्मज बनेसिंह को पंजीकृत बक्शीशनामा दिनांक 16.10.1973 से कुल किता 27 रकबा 82 बीघा 10 बिस्वा भूमि संभलाई थी। अपीलांट के कथन अनुसार मूलसिंह के स्वर्गवास के पश्चात उनके उत्तराधिकारियों ने आपसी पारिवारिक समझौते अनुसार वादी के हिस्से व कब्जे की भूमि के संबंध मे वादी के भाई भवंरसिंह व

जयराज सिंह ने कबूलियत इकरारनामा नोटेरी से तस्दीक करवा लिया। बहादुरसिंह के विरूद्ध भू–सम्पदा अधिनियम 1963 संशोधित 1975 के अन्तर्गत उक्त भूमि को अन्य भूमियों के साथ अवाप्त कर सिवायचक दर्ज कर दिया गया। उक्त अवाप्त की गई भूमियों मे बहादुर सिंह द्वारा अन्य को बेचान की जा चुकी भूमियां भी शामिल थी। सिवायचक दर्ज भूमियों की उज्रदारियां जिलाधीश बून्दी मे प्रस्तुत की गई, जिनको एक ही निर्णय प्रकरण संख्या 11/1976 सरकार बनाम छोटा वगै0 मे दिनांक 01.03.1976 की कम संख्या 9 पर मूलसिंह की उज्रदारी अनुसार अधिग्रहित भूमियों के आदेश को निरस्त कर दिया गया, जिसके विरूद्ध अपील संख्या 22/1976 राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 17.10.1977 से प्रकरण पुनः जिलाधीश बून्दी को प्रतिप्रेषित हुआ जिसकी पालना मे जिलाधीश बून्दी ने मिसल संख्या 1578 सरकार बनाम श्रीराम तापड़िया व अन्य ने निर्णय दिनांक 03.11.1981 से पूर्व मे पारित निर्णय दिनांक 01.03.1976 को सही मानते हुए पूर्ववत ही भूमियों को अधिग्रहण से मुक्ति का आदेश दिया गया, उक्त आदेश मे कम संख्या 9 पर मूलसिंह पुत्र बनेसिंह की उज्रदारी अनुसार अधिगृहित भूमियो के आदेश को निरस्त किया गया है। अपीलांट का कथन व तर्क है कि मूलसिंह पुत्र बनेसिंह को पंजीकृत बक्शीशनामा दिनांक 16.10.1973 मे उल्लेखित कुल किता 27 कुल रकबा 82 बीघा 10 बिस्वा भूमि जिसके खातेदारी अधिकार मूलसिंह को प्राप्त हो गये थे परन्तु जिनका राजस्व रिकॉर्ड मे अमल नहीं किया गया था ,वह सभी भूमियॉ भी सम्मिलित है तथा जिलाधीश बून्दी के उक्त निर्णय दिनांक 03.11.1981 के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा अपील नहीं होने से यही निर्णय अंतिम रहा । वर्तमान खसरा नम्बर 150 की रकबा 12 बीघा(सिवायचक) आवंटी अकबर पुत्र मूशा द्वारा निजामुद्दीन को बेचान कर दी गई जबकि वादी अपीलांट उक्त खसरा नम्बर 150 के 18 बीघा 8 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 278 की 98 बीघा 7 बिस्वा मे से 25 बीघा 2 बिस्वा कुल 43 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर आज भी काबिज काश्त होने का कथन किया है, तथा उक्त भूमि की खातेदारी चाहते है। रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि उक्त भूमि राज्य सरकार द्वारा सिवायचक से महकमा जंगलात के खाते दर्ज कर दी है जो राजस्थान सरकार की विज्ञप्ति दिनांक 21.04.1973 EX –ए–3 एवं अधिसूचना दिनांक 20.05.1982(EX–ए–4) के अन्तर्गत उक्त भूमियां वन विभाग के नाम दर्ज करने की विधिवत अधिसूचना जारी होने के उपरांत ही वन विभाग के नाम दर्ज कर दी गई है, परन्तु जिसके खण्डन मे वादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। अपील के बिन्दु संख्या 5 मे वादी का कथन है कि उज्रदारियों के निर्णय उपरांत अन्य केतागण की भूमि को सिवायचक से वापस केतागण के खाते दर्ज की है, जिसमे से ग्राम बीचड़ी के खसरा नम्बर 126 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि नामान्तरण संख्या 104/03.10.1963 से केता के नाम दर्ज की गई है, किन्तु वादी अपीलांट की कब्जे काश्त की भूमि

उसके खाते दर्ज नहीं की गई है। परन्तु यहां ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज पत्रावली मे नहीं पाया गया जिससे यह सिद्ध होता हो कि वादी अपीलांट द्वारा तत्समय अपने कब्जे काश्त की सिवायचक भूमि को पुनः उसके नाम खाते मे दर्ज करने हेतु किसी सक्षम न्यायालय अथवा कार्यालय मे आवेदन प्रस्तुत कर कार्यावाही की गई हो, और सक्षम स्तर से उसका कोई आवेदन पर कार्यवाही लम्बित हो अथवा खारिज हुआ हो। अपील के बिन्दु संख्या 6 मे तथा बहस मे वादी अपीलांट का कथन है कि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान प्रस्तुत प्रकरण मे प्रभावी नहीं है। हम अधिवक्ता अपीलांट के इस कथन से सहमत नहीं है, हमारे मत मे प्रकरण मे जिलाधीश बून्दी द्वारा पारित अंतिम निर्णय दिनांक 03.11.1981 के पूर्व ही राज्य सरकार द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 21.04. 1973(EX–ए–3) प्रभावित हो चुकी थी, जिसके अन्तर्गत उक्त भूमियां वनविभाग को राजस्थान वन अधिनियम 1953 की सं. 13 की धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसरण मे घोषित कराया जा चुका है । अधिसूचना दिनांक 20.05. 1982 मे वन्यजीव अभ्यारण्य रामगढ़ की सीमाओं के विवरण अनुसार आरक्षित वनखण्ड माना गया है। जिसके खण्डन मे वादी अपीलांट द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। विवादित आराजी नामान्तरकरण संख्या 77 दिनांक 28.08.2009 से 301 बीघा 11 बिस्वा भूमि महकमा जंगलात के खाते दर्ज है तथा राजस्व जमाबंदी सम्वत 2064 से 67 मे महकमा जंगलात के नाम दर्ज रिकॉर्ड होना साबित होता है। अधिवक्ता अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.07.2021 तथा अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 101/2017 मे पारित निर्णय दिनांक 13.12.2019 का अवलोकन करवाया तथा कथन किया कि इस निर्णय मे भी हमे खातेदारी दी गई है। परन्तु हम अधिवक्ता अपीलांट के इस कथन से सहमत नहीं है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.12.2019 के द्वारा जिन भूमियों की खातेदार अपीलांट को प्रदान की गई वह राजस्व अभिलेख मे सिवायचक दर्ज थी, अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त भूमियों को कभी वन विभाग के खाते मे दर्ज रिकॉर्ड होना नहीं माना है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय मे कुल 6 तनकीयॉ विरचित की गई। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयां विरचित कर तनकीवार निर्णय किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित तनकीवार निर्णय को यहां पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है। हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित तनकीवार निष्कर्ष एवं निर्णय से सहमत है। इस पैरा मे हमारे द्वारा किए गए विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.07.2021 विधि सम्मत है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत उक्त भूमि महकमा जंगलात की होने से प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी की है। जिससे उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार व स्वत्व की घोषणा नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ

न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.07.2021 मे तनकीवार निष्कर्ष से हम सहमत है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है तथा इसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटगण खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 23/2010 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.07.2021 यथावत रखी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 27.07.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

JudiGovt.
Part IV - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या– 2021/186

पृथ्वीराज सिंह आत्मज मूल सिंह जाति राजपूत निवासी रामपुरिया सागर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।

– अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली, तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।
2. वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जिला वन अधिकारी बून्दी(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

वाद संख्याः 23/2010

पृथ्वीराज सिंह आत्मज मूल सिंह जाति राजपूत निवासी रामपुरिया सागर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।

——वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली, तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।
2. वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जिला वन अधिकारी बून्दी(राज0)।

——प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद सख्या 23/2010 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली, जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.07.2022 के विरूद्ध उक्त अपील न्यायालय राजस्व

अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपील स्वीकार फरमाई जावे।

2. उक्त अपील तारीख 27.07.2023 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री कैलाश गुप्ता, एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित होने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट की उक्त अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.07.2021 बहाल रखी जाती है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

यह डिक्री आज तारीख 27.07.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा